

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016



विज्ञापन संख्या—04 / 2022

शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन उन योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाते हैं, जो विज्ञापन संख्या 02 / 2022 हेतु निम्नलिखित पारंपरिक पदों के संबंध में पात्रता मानदंड में निर्धारित की गई आवश्यकता – “पीएच.डी. थीसिस संस्कृत भाषा में होनी चाहिए” के कारण आवेदन जमा करने से वंचित रह गए थे—

क्रम सं.	शैक्षणिक पद का नाम एवं शैक्षणिक वेतन स्तर	पदों की संख्या, विषय तथा श्रेणी	भर्ती का माध्यम
1	एसोसिएट प्रोफेसर शैक्षणिक वेतन स्तर-13 A	व्याकरण - 03: 01-OBC, 01-EWS, 01-SC ज्योतिष- 01-UR अद्वैत वेदांत -01-OBC विशिष्ट अद्वैत वेदांत -01-SC धर्मशास्त्र -01-OBC साहित्य - 01-OBC पुराणेतिहास- 01-UR	सीधी भर्ती
2	सहायक प्रोफेसर शैक्षणिक वेतन स्तर-10	पौरोहित्य- 01-SC धर्मशास्त्र -01-SC, 01-EWS अद्वैत वेदांत -01-SC & 01-UR-(Lien vacancy स्थायी होने की संभावना है) प्राकृत - 01-SC, 01-ST सांख्ययोग- 01-UR, 01-OBC वेद - 01-UR वास्तुशास्त्र - 01-UR व्याकरण - 01-SC	सीधी भर्ती

भर्ती से संबंधित पात्रता मानदंड विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ वेबसाइट www.slbsrsrv.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए अपने आवेदन को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के साथ 2000/- (रु0 1000/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग/EWS उम्मीदवारों के लिए) रूपये का शुल्क जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है। PwBD उम्मीदवारों को कोई शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 02 / 2022 के अनुसार शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन किया था, उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा में पढ़ान की योग्यता की शर्त को वहीं लागू किया जाएगा जहाँ उपयुक्त हो। विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 22.10.2022 है। ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की प्रति सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 28.10.2022 को या उससे पूर्व डाक द्वारा विश्वविद्यालय में पहुँच जानी चाहिए।


 कुलसचिव (प्रभारी)

एसोसिएट प्रोफेसर शैक्षणिक वेतन स्तर-13 A	व्याकरण - 03: 01-OBC, 01-EWS, 01-SC ज्योतिष- 01-UR अद्वैत वेदांत -01-OBC विशिष्ट अद्वैत वेदांत -01-SC धर्मशास्त्र -01-OBC साहित्य - 01-OBC पुराणेतिहास- 01-UR	सीधी भर्ती
---	---	------------

योग्यता—

- i. संबंधित विषय या प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री एक अच्छे अकादमिक रिकार्ड सहित।
- ii. संस्कृत माध्यम में मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंकों सहित (या पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है)
- iii. किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में शिक्षण या अनुसंधान का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सूचीबद्ध न्यूनतम सात पत्रिकाओं के प्रकाशन के साक्ष्य सहित तथा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों, 2018 पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के परिशिष्ट- ॥ (तालिका 2) में दिए गए मानदंडों के अनुसार 75 का कुल शोध स्कोर।
- iv. संस्कृत माध्यम में पढ़ाने की क्षमता।

महत्वपूर्ण नोट:— उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा भर्ती की सामान्य नियमों व शर्तों के साथ संलग्न परिशिष्ट- ॥ (तालिका 2) में अपने शैक्षणिक स्कोर को स्वयं उल्लिखित और संलग्न करना आवश्यक है।

सहायक प्रोफेसर शैक्षणिक वेतन स्तर-10	पौरोहित्य- 01-SC धर्मशास्त्र -01-SC, 01-EWS अद्वैत वेदांत -01-SC & 01-UR-(Lien vacancy स्थायी होने की संभावना है) प्राकृत - 01-SC, 01-ST सांख्ययोग- 01-UR, 01-OBC वेद - 01-UR वास्तुशास्त्र - 01-UR व्याकरण - 01-SC	सीधी भर्ती
---	--	------------

आवश्यक—

- i. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रासंगिक संबद्ध विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (या जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, वहाँ समकक्ष ग्रेड) या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से संस्कृत माध्यम में समकक्ष डिग्री।
- ii. उपरोक्त योग्यताओं के पूर्ण करने के अतिरिक्त, उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CSIR द्वारा आयोजित कोड-73 (राजनीति विज्ञान को छोड़कर) के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जैसे SLET/SET उत्तीर्ण की हो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम और मानक प्रक्रिया) द्वारा समय-समय पर संशोधित विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार पी.एच.डी. डिग्री से सम्मानित किया गया हो, NET/SLET/SET से छूट दी जा सकती है।

बशर्ते कि पीएच.डी. के लिए पंजीकृत उम्मीदवार 11 जुलाई, 2009 से पहले के कार्यक्रम, डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों, उपनियमों, विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की अधीन विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की आवश्यकता से छूट दी जाएगी—

- क. उम्मीदवार को पीएच.डी. डिग्री नियमित मोड में प्रदान की गई है।
- ख. पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया है।
- ग. उम्मीदवार की एक ओपन मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है।
- घ. उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिसमें से कम से कम एक रेफरीड जर्नल में है।
- ड. उम्मीदवार ने UGC/ICSSR/CSIR या किसी भी इसी तरह की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषत/समर्थित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपनी पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हैं।
- च. संस्कृत माध्यम में पढ़ाने की क्षमता।

इन शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं संकाय प्रमुख (शैक्षणिक) द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

नोट-

- क. ऐसे विषयों में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए NET/SLET/SET की भी आवश्यकता नहीं होगी जिनके लिए NET/SLET/SET, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CSIR या इसी तरह की परीक्षा जैसे SLET/SET द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है।

या

- ख. पीएच.डी. की डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त की गई है, जिसकी रैंकिंग विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के सर्वप्रथम 500 में निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा की गई है— (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

नोट— विश्वविद्यालयों के लिए परिशिष्ट—II (तालिका 3 ए) में और कॉलेजों के लिए परिशिष्ट—II (तालिका 3 बी) में निर्दिष्ट शैक्षणिक स्कोर को केवल साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शार्ट-लिस्ट करने पर विचार किया जाएगा और चयन केवल “विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपायों, 2018” के अनुसार साक्षात्कार में प्रदर्शन पर आधारित होगा।

नोट— उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा भर्ती की सामान्य नियमों व शर्तों के साथ संलग्न परिशिष्ट—II (तालिका 2) में अपने शैक्षणिक स्कोर को स्वयं उल्लिखित और संलग्न करना आवश्यक है।

सहायक प्रोफेसर (वास्तुशास्त्र) के पद के लिए निर्धारित उपरोक्त पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इस पद के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड रखने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है—

- i. आचार्य में कम से कम 55% अंकों के साथ अच्छा अकादमिक रिकार्ड या बाद के ग्रेड ओ, ए, बी, सी, डी, ई, और एफ के साथ 7 पॉइंट स्कोर में बी के समकक्ष ग्रेड/सिद्धांत/गणित में एक भारतीय विश्वविद्यालय से फलित ज्योतिष में मास्टर डिग्री या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।

- ii. उपरोक्त योग्यताओं के पूर्ण करने के अतिरिक्त, उम्मीदवारों ने ज्योतिष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CSIR द्वारा आयोजित कोड-73 के तहत पारंपरिक श्रेणी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जैसे SLET/SET उत्तीर्ण की हो।
- iii. वास्तुशास्त्र में पीएच.डी. डिग्री या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 और 2016 के अनुसार संस्कृत भाषा में अंतःविषय विषयों में पीएच.डी. डिग्री।
- iv. वास्तुशास्त्र में प्रकाशनों (2-3 पुस्तकें/शोध पत्र) की उच्च गुणवत्ता (ISBN/ISSN नंबरों के साथ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक)
- v. संस्कृत माध्यम में पढ़ाने की क्षमता।

नोट—उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा भर्ती की सामान्य नियमों व शर्तों के साथ संलग्न परिशिष्ट—।। (तालिका 2) में अपने शैक्षणिक स्कोर को स्वयं उल्लिखित और संलग्न करना आवश्यक है।

मेरी
स्वीकृति

भर्ती के सामान्य नियम और शर्तें

1. आवेदन फार्म

ए) उम्मीदवार को अपना आवेदन 2000/- रुपये (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 1000/- रुपये) अपेक्षित शुल्क के रूप में केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा किए जाने चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को कोई शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई के मामले में, उम्मीदवार विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र से निम्नलिखित टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- 011-46060645, 46060630

नोट: जिन उम्मीदवारों ने शैक्षणिक पद हेतु विज्ञापन संख्या 02/2022 के लिए आवेदन किया था उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विज्ञापन सं 02/2022 में दी गई आवश्यकता- "संस्कृत भाषा में पीएच.डी." को यूजीसी विनियम, 2018 में शैक्षणिक पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखते हुए अमान्य माना गया है।

बी) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: विधिवत भरे गए आवेदन (ऑन लाइन मोड द्वारा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 22.10.2022 है जिसे आवश्यकता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस आशय की अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.slbsrsrv.ac.in देखें।

(सी) ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट:

जो उम्मीदवार पहले से ही सेवा में हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट उचित माध्यम से नियोक्ता प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी रिपोर्ट के साथ संलग्न पपत्र (अनुलग्नक-ए) में, विधिवत भरा हुआ और वर्तमान नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे।

एक बंद लिफाफे में ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ सभी प्रकार से/ पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित संबंधित दस्तावेजों को "रजिस्ट्रार, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) बी-4, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016" को 28.10.2022 या उससे पहले भेजा जाना चाहिए। लिफाफे पर "..... के पद के लिए आवेदन" लिखा हो।

किसी भी डाक विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा न करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(डी) उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह पद के लिए पात्र है और उसमें मांगी गई वांछित जानकारी के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करें और तदनुसार दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेज भी जमा करें। किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने, किसी भी नकली दस्तावेज की आपूर्ति, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या उम्मीदवार द्वारा कोई अन्य अवांछनीय कार्रवाई नियोक्ता के ध्यान में आने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द होने

2. शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संस्कृत माध्यम (जहाँ लागू हो) में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह शर्त आधुनिक विषयों जैसे राजनीति विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, मनोविज्ञान, प्रदर्शन कला आदि पर लागू नहीं होगी जैसा कि विज्ञापन संख्या 02/2022 में विज्ञापित किया गया है। सभी विज्ञापित शैक्षणिक पदों में से 01 पद पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार "पीडब्ल्यूबीडी-ओएच श्रेणी" द्वारा भरा जाएगा।
3. उम्मीदवार को अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, जाति और अन्य प्रशंसापत्र से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को भेजना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक का आवेदन पत्र, अंकतालिका सहित वांछित संलग्नकों द्वारा समर्थित नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी भ्रम से बचने के लिए उम्मीदवार को संलग्नक की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूबीडी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की श्रेणी / जाति, अधिनियम / आदेश जिसके तहत श्रेणी / जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के रूप में मान्यता दी गई है और उम्मीदवार गांव / कस्बे का निवासी है जैसा भी मामला हो, उसका यथास्थिति उल्लेख होना चाहिए।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-I) में एक घोषणा करें, कि वह ओबीसी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक इस पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को महत्वपूर्ण तिथि माना जाएगा।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार भारत के, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 के अनुबंध-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा: - (i) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी /कलेक्टर/उपायुक्त/अपर' उपायुक्त/प्रथम श्रेणी का वजीफा 3 मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और (iv) उप-मंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहाँ उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
6. (i) विश्वविद्यालय किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(ii) विश्वविद्यालय कोई कारण बताए बिना किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(iii) विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- (iv) यदि किसी भी कारण से किसी पद (पदों) के लिए कोई विज्ञापन वापस ले लिया जाता है, तो उम्मीदवारों से लिया गया आवेदन शुल्क या कोई अन्य शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
7. (i) अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii) 'किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार की उम्मीदवारी अयोग्य मानी जाएगी
(iii) आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग फॉर्म पर आवेदन करना होगा
8. ऊपर उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त भी, विश्वविद्यालय के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार या किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2020 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम और समय-समय पर संशोधित उच्च शिक्षा, 2018 में मानकों के रखरखाव के उपायों और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और भारत सरकार के नियम/ यूजीसी के दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपनाए जाते हैं।
9. विभिन्न श्रेणियों आदि के लिए लागू आरक्षण और छूट, यदि कोई हो, के संबंध में यूजीसी और भारत सरकार के नियमों के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
10. कर्मचारी समय-समय पर लागू पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भारत सरकार/यूजीसी नियमों द्वारा शासित होंगे।
11. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार अनुसूची के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है या प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।
12. भर्ती के समय, विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के बीच एक सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा की जानी चाहिए। इस तरह के सेवा समझौते पर लागू दरों के अनुसार विधिवत स्टाम्प लगाई जाएगी।
13. किसी भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट या भर्ती से संबंधित कोई अन्य संबंधित जानकारी केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट "www.slbsrsrv.ac.in" पर पोस्ट की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ निरंतर संपर्क में रहना आवश्यक है।
14. भर्ती से संबंधित विस्तृत प्रावधानों के लिए, उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपायों, 2018 समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियमों के माध्यम से जाना होगा, जो यूजीसी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं: www.ugc.ac.in.
15. विज्ञापन संख्या 02/2022 में टंकण त्रुटि/विसंगति, यदि कोई हो, को नियमानुसार सुधारा जाएगा।
16. किसी भी उम्मीदवार की किसी भी शिकायत के मामले में, उम्मीदवार पर्याप्त रूप से अग्रिम समय में भर्ती से संबंधित निवारण के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं।
17. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: किसी भी विवाद के मामले में, न्यायनिर्णयन के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली होगा।

तालिका- 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु-चिकित्सा संकाय विज्ञान	प्राप्त अंक
1.	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 per paper	
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त) (क) लिखी गई पुस्तकों, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया : अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक 12 राष्ट्रीय प्रकाशक 10 संपादित पुस्तक में अध्याय 05 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक 10 राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक 08 (ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य अनुवाद कार्य अध्याय अथवा शोध पत्र 03 पुस्तक 08 		
3.	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान- अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्चा का विकास और पाठ्यचर्चा का विकास (क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास 05 (ख) नई पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रमों को तैयार करना 02 प्रति पाठ्यचर्चा / पाठ्यक्रम (ग) एमओओसी चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक / क्रेडिट) 20 प्रति मॉड्यूल / व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित) 05 विषयवस्तु लेखक / एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश) 02 एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक / क्रेडिट) 08 (घ) ई- विषयवस्तु पूर्ण पाठ्यक्रम / ई- पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई- विषयवस्तु का विकास 12 		

	प्रति मॉड्यूल ई— विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	समग्र पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई—पुस्तक में ई— विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई—पुस्तक हेतु ई— विषयवस्तु का संपादक	10	
4.	(क) शोध मार्गदर्शन		
	पीएच.डी.	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	
	10 लाख से कम	05	
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	05	
	10 लाख से कम	02	
	(घ) परामर्शदात्री सेवाएं	03	
5.	(क) पेटेंट		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	
	राष्ट्रीय	07	
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रासं./ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए) या/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	
	राष्ट्रीय	07	
	राज्य	04	
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	
	राष्ट्रीय	05	
6.	* अतिथि व्याख्यान/ संसाधक/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/ सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाइगी)		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	
	राष्ट्रीय	03	
	राज्य/ विश्वविद्यालय	02	

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक):

- i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र — 5 अंक
- ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र — 10 अंक
- iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 15 अंक
- iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 20 अंक
- v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 25 अंक

- vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र — 30 अंक
 (क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक : प्रथम /मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएँ : मूल शोधकर्ता और सह— शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

नोट :

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह— पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- *शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5(ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्याता /संसाधक /पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

तालिका 3-क

विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	शैक्षणिक रिकॉर्ड	प्राप्तांक				टिप्पणी
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक=15	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम=13	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम=10	45 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत से कम=05	
2	स्नातकोत्तर	80 प्रतिशत और उससे अधिक=25	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम तक= 23	55 प्रतिशत से लेकर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 50 प्रतिशत (असंपन्न वर्ग / शारीरिक रूप से निशक्त) से 60 प्रतिशत से कम = 20		
3	एम.फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक=07	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम=05			
4	पीएच.डी.	30				
5	नेट सहित जे.आर.एफ.	07				
	नेट	05				
	एसएलईटी / एसईटी	03				
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	10				
7	शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक) #	10				
8	पुरस्कार	03				
	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर(अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02				

तथापि, यदि शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट:

(क)	i. एमफिल + पीएचडी	अधिकतम	-	30 अंक
	ii. जेआरएफ / नेट / सेट	अधिकतम	-	07 अंक
	iii. अवार्ड की श्रेणी में	अधिकतम	-	03 अंक
(ख)	साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सख्त सबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी।			
(ग)				
	शैक्षणिक प्राप्तांक	-	80	
	शोध प्रकाशन	-	10	
	शिक्षण अनुभव	-	10	
	कुल :		100	

(घ) यह अंक सबंधित राज्यों के एसएलईटी/ सेट विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों /संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वैध होंगे ।

अनुलग्नक—ए

नियोक्ता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक डॉ./श्री/सुश्री जिन्होंने पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में के रूप में दिनांक से तक पे बैंड/पे—लेवल के वेतनमान तथा ए.जी.पी./जी.पी. में स्थायी रूप से कार्यरत हैं। वे रु० का मूल वेतन प्राप्त कर रहा/रही हैं। उनकी अग्रिम वेतन वृद्धि की तिथि है।

इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला विचाराधीन या लम्बित नहीं है। अगर श्री/श्रीमती की पद हेतु उम्मीदवारी पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाता है तो इस संस्थान को कोई कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें नियमानुसार विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

संस्था/संगठन के प्रमुख का नाम
मोहर.....

दूरभाष/मोबाइल नं.

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक—।

अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
 गांव/नगर/शहर जिला राज्य एतद्वारा यह
 घोषित करता हूँ कि मैं उस समुदाय से संबंधित हूँ जिसे भारत सरकार
 द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93—Estt. (SCT)
 दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े
 वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि अंतिम तिथि के
 अनुसार, मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या
 36033/3/2004 Estt. (Res.) दिनांक 09 मार्च, 2004 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या
 36033/3/2004 Estt. (Res.) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 की अनुसूची के कॉलम 3 में
 उल्लिखित व्यक्तियों/अनुभागों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

पूरा पता: